सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 05.09.2026

<u>Operation Conviction : सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से "दुष्कर्म" एवं एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में अभियुक्त दोषसिद्ध, माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹15,000/- अर्थदण्ड तथा एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं ₹25,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित</u>

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप थाना मांची पर पंजीकृत **मु0अ0सं0-14/2024 व मु0नं0-245/2024, धारा 376 भादवि एवं धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट** से सम्बन्धित अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त कमलेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी हरभोग, थाना अधौरा, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में प्रभावी सजा एवं कुल ₹40,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>प्रकरण का विवरण</u>

थाना – मांची, जनपद सोनभद्र
मु0अ0सं0 – 14/2024
मु0नं0 – 245/2024
धारा – 376 भादवि एवं धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट

<u>दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-</u>

कमलेश यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी – हरभोग, थाना अधौरा, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार।

<u>आज दिनांक 05.09.2026 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय</u>

<u>माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को—</u>

1. **धारा 376 भादवि** के आरोप में **10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹15,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।
2. **धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट** के आरोप में **आजीवन कारावास एवं ₹25,000/- अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग में सोनभद्र पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों का सुदृढ़ संकलन, अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रभावी न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।